संख्या-1/2024 /153-57-2024-2364-2023

प्रेषक,

लक्ष्मण राम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
धर्मार्थ कार्य विभाग निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, वाराणसी/आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी,
उ0प्र0 वाराणसी।

धर्मार्थ कार्य विभाग **लखनऊ : दिनांक 29 जनवरी, 2024**

विषय:- पारम्परिक शवदाह स्थल रामघाट अयोध्या में जन सुविधाओं का विकास कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या के पत्र संख्या-06/अयो0वि0प्रा0-अभि0/2023-24, दिनांक 03.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अयोध्या के समग्र विकास तथा वर्तमान में कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत पारम्परिक शवदाह स्थल रामघाट अयोध्या में यात्रियों के लिए जन सुविधाओं के विकास कार्य हेतु परियोजना लागत रू0 498.74 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या के पक्ष में अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-2364/57-2023-2364/2023, दिनांक 29.12.2023 द्वारा अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या को प्रश्नगत परियोजना हेतु कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। प्रश्नगत परियोजना की लागत धनराशि रू0 05.00 करोड़ से कम की होने के कारण शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2399/57-2023-1(जी)/2023, दिनांक 29.12.2023 द्वारा गठित अप्रेजल समिति की बैठक दिनांक 05.01.2024 को उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा धनराशि रू0 498.74 के उपलब्ध कराये गये आगणन का परीक्षण किया गया। परीक्षणोंपरान्त अप्रेजल समिति द्वारा प्रायोजना की धनराशि रू0 484.07 लाख मूल्यांकित की गयी है।

3- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-084 के पूंजीलेखा शीर्षक-4250-अन्य समाज सेवओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-08-अयोध्या में पब्लिक एम्निटीज एवं पार्किंग तथा जन सुविधा का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के मद में धनराशि रू0 10969.00 लाख का प्राविधान है। इस मद से प्रश्नगत परियोजना का वित्त पोषण किया जा सकता है।

4- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या के पत्र दिनांक 03.01.2024 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पारम्परिक शवदाह स्थल रामघाट अयोध्या में जन सुविधाओ के विकास हेतु अप्रेजल समिति द्वारा प्रायोजना हेतु मूल्यांकित धनराशि रू0 484.07 लाख (रूपये चार करोड़ चौरासी लाख सात हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को एकमुश्त निर्गत किये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 (Attach) का पूर्णत: अनुपालन किया जायेगा।
2. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था की होगी तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।
3. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के के सुसंगत प्रस्तरों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानिटरिंग भी की जायेगी।
5. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
6. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने के दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
7. लेबरसेस के भुगतान की कार्यवाही अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जायेगी।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 26 अगस्त, 2014 के अन्तर्गत सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
9. प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
10. प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा एवं भविष्य में पुनरीक्षित लागत पर विचार नहीं किया जायेगा।
11. अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
12. सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिये सुसंगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13. कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
14. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी०एस०टी० की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० सम्मिलित न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

15. स्वीकृत की गयी धनराशि का आहरण निदेशक, धर्मार्थ कार्य विभाग, उ0प्र0 वाराणसी/आयुक्त, वाराणसी मण्डल. वाराणसी द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदधारक द्वारा कोषागार वाराणसी से किया जायेगा। आहरण के उपरान्त धनराशि कार्यदायी संस्था अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या को उपलब्ध करायी जायेगी।

16. परियोजना पूर्ण होने के पश्चात उसका संचालन एवं अनुरक्षण नगर निगम, अयोध्या द्वारा किया जायेगा।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,84,07,000 (रुपये चार करोड़ चौरासी लाख सात हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या-**084 के **लेखा शीर्षक** 4250008000800 अयोध्या में पब्लिक एम्नेटीज एवं पार्किंग तथा जनसुविधा का विकास **मानक मद-** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(लक्ष्मण राम)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-1/2024 /153-57-2024-2364-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
3- आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
4- जिलाधिकारी, अयोध्या।
5- नगर आयुक्त, नगर निगम, अयोध्या।
6- उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या।
7- मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी/अयोध्या।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन।
9-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण राम)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।